झारखण्ड सरकार

कारा निरीक्षणालय

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

टी०ए० डिविजन बिल्डिंग, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4

-:WALK IN INTERVIEW:-

नियुक्ति विज्ञापन संख्या–04/जेल/2024

राज्य के काराओं में कक्षपाल/महिला कक्षपाल के रिक्त पदों पर भूतपूर्व सैनिकों **(Ex Serviceman)** को संविदा पर नियुक्ति हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रकार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पूर्वाह्न 08:00 से संध्या 04:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निम्नांकित किसी एक ही कारा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों/अभिलेखों के साथ काराधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। यदि एक कारा कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाये जाते हैं तो दूसरे कारा कार्यालय में अन्य दिवस को संविदा पर नियुक्ति हेतु उनकी उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

क्र०	कारा का नाम	रिक्त		नियुक्ति का स्थान एवं तिथि
		पुरूष	महिला	
1.	केन्द्रीय कारा, दुमका	0	1	केन्द्रीय कारा, दुमका दिनांक–31.01.2025
2.	केन्द्रीय कारा, देवघर	3	1	
3.	मंडल कारा, जामताड़ा	12	0	
4.	मंडल कारा, पाकुड़	4	0	
5.	मंडल कारा, साहेबगंज	0	1	
	योग–	**19**	**3**	
6.	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर	40	0	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर दिनांक–14.02.2025
7.	उपकारा, घाटशिला	5	0	
	योग–	**45**	**0**	
8.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग	61	0	लोकनायक जयप्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा, हजारीबाग दिनांक–28.02.2025
9.	मंडल कारा, चतरा	5	0	
10.	केन्द्रीय कारा, गिरिडीह	2	0	
11.	मंडल कारा, धनबाद	23	0	
12.	उपकारा, तेनुघाट	13	0	
13.	उपकारा, रामगढ़	4	0	
14.	उपकारा, बरही	12	0	
	योग–	120	0	
15.	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	28	3	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची दिनांक–21.03.2025
16.	मंडल कारा, गुमला	1	1	
17.	मंडल कारा, सिमडेगा	7	3	
18.	मंडल कारा, लातेहार	1	0	
	योग–	**37**	**7**	
	कुल योग–	**221**	**10**	

1) भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों की सं०–231 **(दो सौ इकतीस)** है।

2) यह पद राज्य स्तरीय है।

3) ये नियुक्तियाँ एक प्रकरण में एक (01) वर्ष के लिये होंगी एवं आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि को विस्तारित किया जायेगा एवं नियमित नियुक्ति होने पर अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

4) अनुबंध पर नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त मानदेय `20,000/– (बीस हजार) मात्र प्रति माह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत निर्धारित मानदेय में 8% (आठ प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जायेगी। इसके अलावे कोई राशि देय नहीं होगी।

5) भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु अनुबंध में निम्नलिखित शर्ते होंगी :–

(i) सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुश्त मानदेय के आधार पर किया जायेगा।

(ii) अनुबंध पर रखे गये इन कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 (बीस) दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

(iii) इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा।

(iv) कर्त्तव्यपालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह उन्हें भी देय होगा। परन्तु आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(v) इन्हें पूर्ण अनुशासन एवं निष्ठा कायम रखना होगा। अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं कदाचार चारित्रिक दोष की स्थिति में बिना किसी सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(vi) इन्हें चिकित्सा जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

(vii) ये नियुक्तियाँ अनुबंध पर है तथा नियमित नियुक्ति नहीं है, साथ ही सैन्य सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं रहने से आरक्षित कर्मियों की संख्या में कमी रहने की संभावना है। अतएव इस स्थिति में इन पदों के नियुक्ति में प्रभावी आदर्श आरक्षण रोस्टर को इस शर्त्त के साथ शिथिल किया गया है कि संविदा नियुक्ति में झारखण्ड वासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6) अनुबंध पर नियुक्ति हेतु आवेदक का उम्र दिनांक–01.01.2025 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति में कम उम्र वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

7) इन भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रथम एक माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात् उन्हें आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कारा या मंडल काराओं/ उपकाराओं में पदस्थापित किया जा सकता है। नियुक्ति होने पर इन्हें तत्काल योगदान करना अनिवार्य होगा।

8) संदर्भित अनुबन्ध पर नियुक्ति के पश्चात बिना सूचना के कार्य से अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि वे अपने कर्त्तव्य से भाग गए हैं, इसे अनुशासनहीनता के रूप में देखा जायेगा एवं नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

9) अनुबंध पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों पर कारा हस्तक के तहत् कक्षपाल के लिए निर्धारित सेवा शर्ते लागू होंगी।

10) **जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें उनके इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है साथ ही ड्राईवर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिक को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।**

11) आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे :–

(i) डिस्चार्ज कार्ड

(ii) पहचान पत्र

(iii) शैक्षणिक योग्यता

(iv) जाति प्रमाण पत्र

(v) स्वपता लिखित लिफाफा (24c.m.x11c.m.) जिसपर `45/– का डाक टिकट लगा हो।

(vi) एक स्वअभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराये गये Form में चिपकायेंगे

(vii) दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

12) पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से Walk in Interview की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथो–हाथ प्राप्त किया जायेगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जाँच परीक्षण केन्द्रीय काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के समक्ष की जायेगी।

13) संबंधित काराधीक्षक एवं कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त सदस्यों के द्वारा संदर्भित भूतपूर्व सैनिक को उपयुक्त पाये जाने पर तत्काल एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराकर औपबंधिक रूप से स्वीकृत करते हुए अनुमोदन हेतु तत्काल कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को समर्पित किया जायेगा।

उक्त जाँच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को किसी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14) यह विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र www.jharkhand.gov.in वेब साईट पर Home Department के लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

कारा महानिरीक्षक,

>kj[k.M] jk¡phA